

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 02 अप्रैल, 2026

संख्या : वि0स0-विधायन-विधेयक / 1-14 / 2026.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

2026 का विधेयक संख्यांक 9.

हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026

खण्डों का क्रम

खण्ड:

अध्याय—I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. परिभाषाएँ।

अध्याय—II आयोग का गठन

3. आयोग का गठन।
4. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति।
5. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।
6. निरहताएं।
7. त्यागपत्र या हटाया जाना।
8. आकस्मिक रिक्ति।
9. आयोग का मुख्यालय।

अध्याय—III आयोग के कृत्य

10. आयोग की बैठकें।
11. प्रक्रिया और शक्तियां।
12. आयोग के कृत्य।
13. सदस्य सचिव के कृत्य।

अध्याय—IV शक्तियां और कार्यवाहियां

14. आयोग को संदर्भ भेजने की शक्तियां।
15. आयोग द्वारा जांच।
16. विनियम बनाने की शक्ति।

अध्याय V
प्रशासन और कर्मचारिवृन्द

17. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

अध्याय—VI
वित्त और लेखे

18. आयोग की निधि।
19. लेखा और लेखापरीक्षा।

अध्याय—VII
रिपोर्ट

20. वार्षिक रिपोर्ट।
21. आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई।
22. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य के समक्ष रखा जाना।

अध्याय —VIII
प्रक्रीर्ण

23. आयोग के सदस्यों का लोक सेवक होना।
24. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
25. नियम बनाने की शक्ति।
26. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

2026 का विधेयक संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए नीतियां बनाने और समीक्षा करने और हिमाचल प्रदेश राज्य के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उपाय और साधन सुझाने हेतु राज्य किसान आयोग के गठन और उनसे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार यह अधिनियमित होः—

अध्याय—I
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग अधिनियम, 2026 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी राज्य सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “कृषि” से पौधों को उगाना और उनकी खेती करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, हर्बल और औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन और खाद्य, चारा, रेशा, ईंधन, जैव-ईंधन के उत्पादन और कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल के प्रयोजन से ऐसा कोई अन्य सहबद्ध कार्यकलाप भी सम्मिलित है;
- (ख) “अध्यक्ष” से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) “आयोग” से धारा 3 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) “किसान” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; जो
- (i) स्वयं भूमि पर खेती करता है;
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि पर देख-रेख करके खेती करवाता है;
- (iii) कोई व्यक्ति जो मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पशु पालन या रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन सहित सहबद्ध क्षेत्रों में संलग्न है;
- (iv) कोई व्यक्ति जो कृषि वानिकी या गैर-काष्ठ वन उपज के संग्रहण में संलग्न है; या
- (v) कोई व्यक्ति जो कृषि मजदूर बटाईदार है या कृषि संबंधी व्यवसायों में लगा हुआ किरायेदार है।
- (ङ) “निधि” से धारा 18 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग निधि अभिप्रेत है;
- (च) “सरकार” या “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) “सदस्य सचिव” से आयोग का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;
- (ज) “अधिसूचना” से राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (झ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ञ) “उत्पाद” के अन्तर्गत कृषि, औद्योगिकी पशुधन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन उत्पाद और ऐसे अन्य उत्पाद सम्मिलित हैं जिन्हें आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए;
- (ट) “विनियम” से इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं; और

(ठ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

अध्याय—II आयोग का गठन

3. आयोग का गठन.—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) आयोग अध्यक्ष, तीन से अनाधिक गैर-सरकारी सदस्यों से गठित होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे :—

- | | | |
|--|---|----------------|
| (क) कुलपति, चौधरी सरवण कुमार
हिमाचल प्रदेश कृषि
विश्वविद्यालय, पालमपुर | : | पदेन सदस्य; |
| (ख) कुलपति, डॉ. यशवन्त सिंह परमार
विश्वविद्यालय बागवानी एवं
वानिकी, नौणी, सोलन | : | पदेन सदस्य; |
| (ग) मत्स्य विभाग का निदेशक | : | पदेन सदस्य; |
| (घ) बागवानी विभाग का निदेशक | : | पदेन सदस्य; |
| (ङ) पशुपालन विभाग का निदेशक | : | पदेन सदस्य; और |
| (च) कृषि विभाग का निदेशक | : | सदस्य सचिव। |

4. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति.—(1) आयोग के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(2) अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो और व्यावसायिक या प्रगतिशील किसान होगा, जिसके पास कम से कम स्नातक की उपाधि हो और जिसे वर्तमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिदृश्य का पर्याप्त ज्ञान हो तथा कृषि/बागवानी/पशुपालन में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन इस अनुभव के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज विपणन समिति या सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना भी सम्मिलित हो सकेगा।

(4) गैर-सरकारी सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो और व्यावसायिक या प्रगतिशील किसान होगा और उसके पास आयोग के अध्यक्ष के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होगा या एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होगा जिसके पास कृषि या संबद्ध (बागवानी/पशु चिकित्सा) में पीएचडी की उपाधि के साथ-साथ कृषि विस्तार में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव हो, जिसमें निदेशक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव भी सम्मिलित है।

5. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.—(1) अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करने की पाँच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद पर बने रहेंगे।

(2) अध्यक्ष सरकार के प्रधान सचिव को यथा लागू वेतनमान में वेतन आहरित करेगा।

(3) अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का निबंधन और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

6. निरहताएं।—कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह:

(क) भारत का नागरिक नहीं है; या

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या

(ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया और कारावास से दण्डित किया गया है, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ङ) न्यायनिर्णीत दिवालिया है।

7. त्यागपत्र या हटाया जाना।—(1) अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी यदि वह:—

(क) दिवालिया घोषित किया गया; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो और कारावास से दण्डित किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; या

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है;

(ङ) आयोग की लगातार तीन बैठकों से बिना अनुमति लिए अनुपस्थित रहता है: परन्तु इस उपधारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन कारित रिक्ति को, अद्यतन नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

8. आकस्मिक रिक्ति।—अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या निरहता की स्थिति में, या उनके कार्यकाल के अवसान से पूर्व कार्य करने में असमर्थ हो जाने की स्थिति में, ऐसे पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी और ऐसी रिक्ति को यथाशक्यशीघ्र किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा, जो अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

9. आयोग का मुख्यालय।— आयोग का मुख्यालय शिमला में या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर स्थित होगा।

अध्याय—III
आयोग के कृत्य

10. आयोग की बैठके.—(1) आयोग की बैठकें अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार और ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी जैसी वह उचित समझे।

(2) सदस्य—सचिव, अध्यक्ष से परामर्श से आयोग की बैठकें बुलाएगा।

(3) आयोग की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से कोई एक सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति आयोग के कम से कम चार सदस्यों से होगी।

(5) जहां तक संभव हो, आयोग में मुद्दों का निर्णय सर्वसम्मति से किया जाएगा, किन्तु यदि आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद हो, तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत के मत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

11. प्रक्रिया और शक्तियां.—(1) आयोग अपनी प्रक्रिया को स्वयं अभिलक्षित करेगा।

(2) आयोग उप—समितियाँ या अध्ययन दल गठित कर सकेगा; या यह अपनी संदर्भ के निबन्धन द्वारा किसी भी पहलू का अध्ययन करने के लिए सलाहकारों को लगा सकेगा।

(3) सरकार आयोग के कर्मचारिवृन्द को पर्याप्त कार्यालय स्थान और किसानों या उनके संघों एवं संगठनों के साथ बैठकों को सुकर बनाने के लिए स्थान उपलब्ध करवा सकेगी।

12. आयोग के कृत्य.—आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:—

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति के साथ—साथ इसके प्रदर्शन, शक्ति और कमियों की समीक्षा करना, विभिन्न कृषि—जलवायु उप—क्षेत्रों में किसानों की विभिन्न श्रेणियों की स्थिति का आकलन करना और राज्य के सतत और न्यायसंगत कृषि विकास को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करना;

(ख) कृषि संकट के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करना और बाजार—आधारित फसल विविधीकरण, बेहतर विपणन, सुगम नियामक और राजकोषीय व्यवस्था, मूल्यवर्धन और कृषि—प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपाय सुझाना;

(ग) कृषि—पारिस्थितिक और कृषि—जलवायु दृष्टिकोण और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग के आधार पर राज्य की प्रमुख कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, स्थिरता और सतता बढ़ाने के तरीके प्रस्तावित करना;

(घ) कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बीच व्यवहार्य और संगत फसलों बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन और अन्य सहबद्ध अंगों सहित समुचित और उनके मध्य रूपसता की सिफारिश करना;

(ङ) वैश्विक स्तर पर व्यवहार्य विपणन मॉडलों का अध्ययन करना और राज्य में सुधारों का सुझाव देना;

(च) प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति के बीच तालमेल स्थापित करना और विविधीकरण, बाजार, मौसम, ऋण सुविधाओं और ई—कॉमर्स संबंधी जानकारी के लिए आईटी सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, प्रशिक्षण और बाजार सुधार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार क्षमता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना;

- (छ) बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ऋण वितरण प्रणालियों की वर्तमान इनपुट उपयोग दक्षता और कार्यप्रणाली की जांच करना और उनमें सुधार के सुझाव देना;
- (ज) कृषि के लिए जल उपयोग की वर्तमान स्थिति, उसके प्रदर्शन और क्षमता की समीक्षा करना और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूगर्भ जल और सतही जल के तर्कसंगत, कुशल और टिकाऊ दोहन हेतु सिफारिशें करना;
- (झ) कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ताकि आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके और अत्याधुनिक विज्ञान का अनुप्रयोग करके उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और विस्तार तंत्र को पुनर्गठित और परिष्कृत करके किसानों के बीच खाद्य संहिता मानक, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपायों के लिए गुणवत्तापूर्ण साक्षरता को उन्नयन किया जा सके;
- (ञ) कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने, लघु एवं सीमांत किसानों सहित ग्रामीण ऋण के प्रवाह को पर्याप्त रूप से बढ़ाने और कृषि विकास से प्रेरित आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए व्यापक नीतिगत सुधारों का सुझाव देना, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन के अवसर मिल सकें;
- (ट) कृषि में शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए उपाय सुझाना और इस उद्देश्य के लिए फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी और कृषि प्रसंस्करण तथा संबंधित विपणन अवसंरचना के तकनीकी उन्नयन के उपायों के सुझाव देना;
- (ठ) किसानों की शिकायतों का समाधान करना और उनके निवारण के लिए निर्देश जारी करना;
- (ड) राष्ट्रीय स्तर पर और आवश्यकता पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन यात्राएं आयोजित करना और उपलब्ध सर्वोत्तम मॉडल के आधार पर कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को सुझाव देना; और
- (ढ) उपरोक्त कृत्यों से सम्बन्धित या राज्य सरकार द्वारा आयोग को विशेष रूप से संदर्भित किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना।

13. सदस्य सचिव के कृत्य.— (1) सदस्य सचिव निम्नलिखित कृत्य करेगा :—

- (क) आयोग के दैनिक कार्यों का संचालन करना, आयोग के दैनिक कामकाज की निगरानी और प्रबंधन करना, और अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के कर्मचारियों को निर्देश, आदेश या अनुदेश जारी करना;
- (ख) आयोग के सभी अभिलेखों, प्रतिभूतियों, नकदी और संपत्तियों के उचित रख-रखाव और अभिरक्षा की व्यवस्था करना;
- (ग) आयोग की ओर से वचनपत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों का पृष्ठांकन और हस्तांतरण करना, और चेक तथा अन्य परक्राम्य लिखतों का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर और नकदीकरण करना;
- (घ) सभी जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा बैंकों और वित्तपोषण एजेंसियों के साथ आयोग के खातों का संचालन करना;
- (ङ) आयोग या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों के पक्ष में या उनके विरुद्ध किसी अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से, या कानूनी सलाहकारों या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कानूनी कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना और बचाव करना;

- (च) अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना;
- (छ) आयोग के किसी उद्देश्य के संबंध में या अन्यथा आयोग के हित में आयोग की ओर से आवश्यक वार्ता और अनुबंध करना, उन्हें रद्द करना और ऐसे नोट, विलेख और दस्तावेज बनाना जैसे आयोग द्वारा इस निमित्त अनिवार्य हों;
- (ज) आयोग की परिसंपत्तियों, संपत्तियों और हितों को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने या क्षति या हानि को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- (झ) आयोग की पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य संपत्तियों के संरक्षक नियुक्त करना; और
- (ञ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जैसी आयोग या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं;

(2) सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से, आयोग के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए अपनी कोई भी शक्ति आयोग के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय-IV शक्तियां और कार्यवाहियां

14. आयोग को संदर्भ भेजने की शक्तियां.— (1) सरकार के पास नीतिगत मामलों के संबंध में या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में आयोग द्वारा नीतिगत किसी मामले या किए गए किसी कार्य के संबंध में आयोग को संदर्भ भेजने की शक्ति होगी।

(2) आयोग इस धारा के अधीन भेजे गए प्रस्तावित या भेजे गए संदर्भ पर यदि कोई कार्रवाई प्रस्तावित है या की गई है, तो उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट करेगा और यदि वह कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि आयोग उचित समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुरूप ऐसे संदर्भ पर कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो सरकार आयोग द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम के अनुरूप ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जैसे अनिवार्य समझा जाये और आयोग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

(4) सरकार किसी भी समय, आयोग के उचित और प्रभावी कामकाज और आयोग के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में समाधान प्राप्त करने के लिए, अपने द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग के कार्यों का निरीक्षण या जांच की व्यवस्था कर सकेगा।

(5) आयोग उप-धारा (4) में निर्दिष्ट निरीक्षण या जांच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

(6) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार उसकी जांच कर सकेगी और आयोग को ऐसे निर्देश दे सकेगी, जिन्हें वह आयोग को देना अनिवार्य समझे।

(7) अध्यक्ष उप-धारा (6) के अधीन दिए गए निर्देशों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त निर्देशों के अनुसरण में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सरकार को सूचना भेजेगा।

(8) उप-धारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर सरकार अध्यक्ष से प्राप्त किसी भी सूचना पर विचार करने के पश्चात्, आयोग को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और आयोग ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

15. आयोग द्वारा जांच.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकेगा और जांच के प्रयोजन के लिए, आयोग को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद की सुनवाई करते समय किसी सिविल न्यायालय के पास नियत है:—

- (i) किसी व्यक्ति को समन जारी करना और उसकी उपस्थिति अनिवार्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;
- (ii) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;
- (iii) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;
- (v) साक्षी की जांच के लिए समन जारी करना; और
- (vi) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच के दौरान, इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी अभिलेख की जाँच कर सकेगा, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या निजी संस्था के नियंत्रण में हो, और ऐसे किसी भी अभिलेख को किसी भी आधार पर नहीं रोकेगा।

(3) यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो आयोग उच्च सार्वजनिक प्राधिकरण को दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा कर सकेगा, और किसी निजी संस्था की अनुपालना की दशा में वह संबंधित विधिक प्राधिकरण को उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगा।

16. विनियम बनाने की शक्ति.—आयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से असंगत आयोग के प्रशासनिक मामलों के लिए विनियम बना सकेगा।

अध्याय—V प्रशासन और कर्मचारिवृन्द

17. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति.—(1) आयोग, सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में और ऐसी रीति में नियुक्ति कर सकेगा जैसी विहित की जाए।

(2) आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) आयोग के सभी कर्मचारी अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अध्याय—VI वित्त और लेखे

18. आयोग की निधियां.—(1) हिमाचल प्रदेश किसान आयोग निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा।

(2) किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उसमें वार्षिक आधार पर कृषि उत्पाद विपणन समितियों की आय ऐसे अनुपात या प्रतिशत में जमा की जाएगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

(3) निधि का उपयोग आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वारण में हुए व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

19. लेखा और लेखा परीक्षा.—(1) आयोग उचित लेखों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे प्रारूप में लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा वह उचित समझे तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में महालेखाकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो सामान्यतः महालेखाकार को सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशिष्टतः उन्हें बही-खातों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) महालेखाकार या इस द्वारा निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के खाते, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सरकार को भेजे जाएंगे।

अध्याय—VII

रिपोर्ट

20. वार्षिक रिपोर्ट.—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जैसी विहित की जाए और इसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का पूरा विवरण होगा, और उसकी एक प्रति सरकार को अग्रेषित करेगा।

21. आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई.—धारा 20 के अधीन बनाई गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार उस पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी वह उचित समझे।

22. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना.—सरकार वार्षिक रिपोर्ट, उसमें निहित अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन जहां तक वे सरकार से संबंधित है कारित करेगी और ऐसी अनुशंसाओं की अनुपालना, यदि कोई हो, के कारण देगी संपरीक्षा रिपोर्ट यथाशाक्यशीघ्र रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगी।

अध्याय—VIII

प्रकीर्ण

23. आयोग के सदस्य का लोक सेवक होना.—आयोग के समस्त सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थान्तर्गत में लोक सेवक समझे जाएंगे।

24. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.—इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशियत किसी भी बात के लिए आयोग के अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

26. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 9 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH STATE FARMER'S COMMISSION BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

**CHAPTER - I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER-II
CONSTITUTION OF COMMISSION**

3. Constitution of Commission.
4. Appointment of Chairperson and non-official members.
5. Term of office and conditions of service of Chairperson and non-official members.

6. Disqualification.
7. Resignation or removal.
8. Casual Vacancy.
9. Headquarter of Commission.

CHAPTER-III FUNCTIONING OF COMMISSION

10. Meetings of Commission.
11. Procedure and Powers.
12. Functions of Commission.
13. Functions of Member Secretary.

CHAPTER-IV POWERS AND PROCEEDINGS

14. Powers to make reference to Commission.
15. Inquiry by Commission.
16. Power to make regulations.

CHAPTER-V ADMINISTRATION AND STAFF

17. Appointment of officers and other employees.

CHAPTER-VI FINANCE AND ACCOUNTS

18. Funds of Commission.
19. Accounts and Audit.

CHAPTER-VII REPORTS

20. Annual Report.
21. Action on Commission's report.
22. Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislative Assembly.

CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS

23. Members of the Commission to be public servants.
 24. Protection of action taken in good faith.
 25. Power to make rules.
 26. Power to remove difficulties.
-

THE HIMACHAL PRADESH STATE FARMER'S COMMISSION BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the establishment of the Himachal Pradesh State Farmer's Commission; to review and frame policies for the growth of agriculture and allied sectors; to suggest measures of economically viable and ecologically sustainable agriculture development; and matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:—

**CHAPTER -I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh State Farmer's Commission Act, 2026.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Agriculture" means the growing or cultivation of plants and includes agriculture, horticulture, animal husbandry, fisheries, dairy, cultivation of herbal and medicinal plants, apiculture, sericulture, and any other allied activity undertaken for the production of food, fodder, fiber, fuel, bio-fuel and raw materials for agro-industries;
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (c) "Commission" means the Commission constituted under Section 3;
- (d) "Farmer" means a person who—
 - (i) cultivates lands personally;
 - (ii) cultivates lands by supervising cultivation through any other person;
 - (iii) is engaged in fisheries, dairying, poultry, animal husbandry, or allied sectors including sericulture, apiculture;
 - (iv) is engaged in agro-forestry, or collection of non-timber forest produce; or

- (v) is an agricultural labourer, sharecroppers, or tenants engaged in various farm related activities;
- (e) “Fund” means the Himachal Pradesh State Farmer’s Commission Fund constituted under Section 18;
- (f) “Government” or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (g) “Member Secretary” means the Member Secretary of the Commission;
- (h) "notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;
- (i) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (j) “produce” includes agricultural and horticulture produce, livestock, fisheries, sericulture, apiculture products, and such other products as may be determined by the Commission from time to time;
- (k) “regulations” means regulations made by the Commission under Section 16 of this Act; and
- (l) “State” means the State of Himachal Pradesh.

CHAPTER-II CONSTITUTION OF COMMISSION

3. Constitution of Commission.—(1) The Government shall, by notification, constitute a body to be known as the Himachal Pradesh State Farmer’s Commission to exercise the powers conferred upon and perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of a Chairperson, not more than three non-official numbers; and shall also include—

- | | |
|--|---------------------|
| (a) Vice Chancellor,
Chaudhary Sarwan Kumar
Himachal Pradesh
Krishi Vishvavidalya ,
Palampur | Ex-officio Member; |
| (b) Vice Chancellor,
Dr. Yashwant Singh Parmar
University of
Horticulture and
Forestry, Nauni, Solan | Ex-officio Member; |
| (c) Director of Fisheries
Department | Ex-officio Member; |
| (d) Director of Horticulture | Ex- Officio Member; |

Department

- | | |
|---|---------------------|
| (e) Director of Animal Husbandry Department | Ex. Officio Member; |
| (f) Director of Agriculture Department | Member Secretary. |

4. Appointment of Chairperson and non-official members.—(1) The Chairperson and non-official members of the Commission shall be appointed by the State Government in the manner as may be prescribed.

(2) The Chairperson shall be a Bonafide of Himachal Pradesh, practicing or progressive farmer with at least a graduate degree and having sufficient exposure regarding current domestic and international agricultural scenario with minimum five years experience of administration in agriculture or horticulture or animal husbandry.

(3) The experience under sub-section (2) may include an experience as Chairperson of the Himachal Pradesh State Agriculture Marketing Board or the Agriculture Produce Marketing Committee or Co-operative Bank.

(4) The non-official member shall be a Bonafide of Himachal Pradesh practicing or progressive farmer and also possess the same educational qualification as that of the Chairperson of the Commission with minimum four years experience of administration or Bonafide of Himachal Pradesh having Ph. D. Degree in Agriculture or allied (Horticulture or Veterinary) with more than twenty five years of experience in Agriculture Extension with minimum one year in the capacity of Director.

5. Term of office and conditions of service of Chairperson and non-official members.—(1) The Chairperson or a non-official member of the Commission shall hold office for a period of five years from the date of assuming the office or till attaining the age of 70 years, whichever is earlier.

(2) The Chairperson shall draw salary in the pay scale as applicable to the Principal Secretary to the Government.

(3) The terms and conditions of service of the Chairperson and the non-official members shall be such as may be prescribed.

6. Disqualifications.—No person shall be eligible for appointment as Chairperson and non-official members, if he,—

- (a) is not a citizen of India; or
- (b) has not attained the age of 21 years; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (d) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(e) is adjudged insolvent.

7. Resignation or removal.—(1) A Chairperson and non-official member may, by way of notice in writing under his hand addressed to the Government, resign from his office.

(2) The Government may, by order, remove from the office, Chairperson or a non-official member, if he,—

- (a) is an undischarged insolvent; or
- (b) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or
- (d) refuses to act or becomes incapable of acting; or
- (e) remains absent from three consecutive meetings of the Commission, without obtaining leave:

Provided that no such person shall be removed under this sub-section unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(3) A vacancy caused under sub-section (1) or sub-section (2) shall be filled by a fresh appointment.

8. Casual vacancy.—In the event of death, resignation or disqualification of the Chairperson or a non-official member or of his becoming incapable of acting before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled as early as possible by appointment of a person who shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

9. Headquarter of Commission.—The headquarter of the Commission shall be located at Shimla or at any other place as may be decided by the Government.

CHAPTER-III FUNCTIONING OF COMMISSION

10. Meetings of Commissions.—(1) The meetings of the Commission shall be convened by the Chairperson as and when required and at such time and place as he thinks appropriate.

(2) The Member Secretary, in consultation with the Chairperson, shall call the meetings of the Commission.

(3) The meetings of the Commission shall be presided over by the Chairperson and in his absence, the members present shall elect one member amongst themselves to preside over such meeting.

(4) At least four members of the Commission shall form a quorum for the meeting of the Commission.

(5) As far as possible, the issues in the Commission shall be decided unanimously but where there is difference of opinion amongst the members of the Commission, the same shall be taken on the basis of the opinion of the majority of the members present.

11. Procedure and Powers.—(1) The Commission shall devise its own procedure.

(2) The Commission may set up sub-committee(s), study team(s); or engage consultants to study any aspect which is covered by its terms of reference.

(3) The Government may provide space to accommodate the staff of the Commission and to facilitate the meetings with the farmers or their unions or associations.

12. Functions of Commission.—The Commission shall,

- (a) review the current status of agriculture and allied sectors in the State, including their performance, strength and weaknesses; assess the condition of different categories of farmers across various agro-climatic sub-regions; formulate a comprehensive strategy for achieving sustainable and equitable agricultural development of the State;
- (b) analyse the factors responsible for the farm crises and suggest measures to enhance income of the farmers through market-driven crop diversification, improved marketing system, hassle-free regulatory and fiscal regime, value addition and agro-processing;
- (c) propose methods for enhancing the productivity, profitability, stability and sustainability in the major farming systems in the State based on an agro-ecological and agro-climatic approaches, including the adoption and integration of frontier technologies;
- (d) recommend suitable and viable cropping system including integration of horticulture, livestock, fisheries and other allied sectors ensuring synergy and compatibility among them;
- (e) study viable marketing models globally and to suggest improvements in the State;
- (f) promote synergy between technology and public policy and to recommend measures for enhancing income and employment potential in rural areas through diversification, application of appropriate technology including Information Technology for information on market, weather, credit facilities and e-commerce, training and market reform;
- (g) examine the current input-use efficiency and functioning of the delivery systems for seeds, fertilizers, pesticides and agricultural credit and to suggest improvement therein;
- (h) review the current status of water use in agriculture, including its performance and potential and to make recommendations for a rational, efficient and sustainable utilization of both ground and surface water for enhanced agricultural productivity;
- (i) suggest measures for enhancing the quality and cost competitiveness of farm commodities so as to make them globally competitive by providing necessary facilities and application of frontier science and to promote quality literacy for Codex Alimentarius Standard, sanitary and phytosanitary measures among farmers through reorientation and retooling extension machinery;

- (j) suggest comprehensive policy reforms designed to enhance investment in agricultural research, substantially increase flow of rural credit to the farmers including small and marginal, triggering agricultural growth led economic progress which can lead to opportunities for a healthy and productive life to rural families;
- (k) suggest measures for attracting and retaining educated youth in farming, including recommendations for technological upgradation in crop husbandry, horticulture, animal husbandry, fisheries, agro-forestry and agro processing and associated marketing infrastructure;
- (l) address the grievances of farmers and issue directions for their redressal;
- (m) conduct study tours within country and if required internationally and give suggestions to the government to enhance farm productivity and farmer income based on the best model available; and
- (n) consider any other issue which is relevant to the above functions or as may be specifically referred to the Commission by the State Government.

13. Functions of Member Secretary.—(1) The Member Secretary shall,—

- (a) administer day to day affairs of the Commission and supervise and manage the day to day functioning of the Commission and issue directions, orders or instructions to the employees of the Commission in consultation with the Chairperson;
- (b) make arrangements for proper maintenance and custody of all records, securities, cash and the properties of the Commission;
- (c) endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and endorse, sign, encash, cheques and other negotiable instruments on behalf of the Commission;
- (d) sign all deposit receipts and operate the accounts of the Commission with bank(s) and the financing agencies;
- (e) institute, conduct and defend legal proceedings in favour of or against the Commission or its officers or employees through any officer or employee of the Commission or otherwise through legal practitioners or any other person authorized by him in this behalf;
- (f) determine powers, duties and responsibilities of the employees of the Commission in consultation with the Chairperson;
- (g) enter into negotiations and contracts and rescind and make such notes, deeds and instruments as may be necessary on behalf of the Commission in relation to any of the object of the Commission or otherwise in the interest of the Commission;
- (h) take necessary steps to avoid any loss or prevent damage or loss to the assets, properties and interests of the Commission;
- (i) appoint custodians of books and records and other properties of the Commission; and

- (j) exercise all such powers as may be delegated to him by the Commission or by the Chairperson.

(2) The Member Secretary may, in consultation with the Chairperson, delegate any of his powers to an officer of the Commission for effective and efficient functioning of the Commission.

CHAPTER-IV POWER AND PROCEEDINGS

14. Power to make reference to Commission.—(1) The Government shall have the power to make a reference to the Commission with regard to any matter of policy or in respect of any act done by the Commission in contravention of the provisions of this Act or the rules made there under.

(2) The Commission shall report to the Government about the action, if any, it proposes to take or has taken upon the reference made under this Section and shall furnish an explanation, if it fails to take action.

(3) If the Commission fails within a reasonable time to take action on such reference to the satisfaction of the Government, it may after considering explanation submitted by the Commission, issue such directions consistent with this Act, as may be considered necessary and the Commission shall comply with such directions.

(4) The Government may, at any time, arrange for an inspection of or inquiry into the affairs of the Commission by such authority or person, as it may specify, to satisfy about the proper and effective functioning of the Commission and also upon any matter connected with the administration and finances of the Commission.

(5) The Commission may authorise any person to represent it at the inspection or inquiry referred to in sub-section (4).

(6) On receipt of the report of inspection or inquiry referred in sub-section (4), the Government may examine the same and give such directions, as it may consider necessary to the Commission.

(7) The Chairperson shall within a period of thirty days from the date of receipt of the directions given under sub-section (6), send an intimation to the Government about the action taken by the Commission in pursuance of the said directions.

(8) On the expiry of the period specified in sub-section (7), the Government may after considering the intimation, if any, received from the Chairperson, issue such directions to the Commission, as it may consider necessary and the Commission shall comply with such directions.

15. Inquiry by Commission.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Commission may initiate a *suo-moto* inquiry on matters relating to its mandate and for the purpose of the inquiry, the Commission shall have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

- (i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

- (ii) requiring the discovery and production of documents;
- (iii) receiving evidence on affidavits;
- (iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (v) issuing summons for the examination of witnesses; and
- (vi) such other matters, as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Commission may during inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of public authority or private entity, and no such record shall be withheld from it on any ground.

(3) In case of non-compliance of directions of the Commission by the public authority, it may recommend to the higher public authority to initiate disciplinary proceedings against the defaulting officer, and in case of non-compliance by a private entity, it may recommend the respective legal Authority to proceed against it as per law.

16. Power to make regulations.—The Commission may make regulations, not inconsistent with this Act and rules made there under for the administration of the affairs of the Commission.

CHAPTER-V ADMINISTRATION AND STAFF

17. Appointment of officers and other employees.—(1) The Commission may appoint such number of officers and other employees, in the manner as may be prescribed to carry out the provisions of this Act, after approval of the Government.

(2) The terms and conditions of service of the officers and other employees of the Commission shall be such, as may be prescribed.

(3) All the employees of the Commission shall perform their duties under the superintendence and control of the Chairperson.

CHAPTER-VI FINANCE AND ACCOUNTS

18. Funds of Commission.—(1) There shall be constituted a Fund to be called the Himachal Pradesh Farmer's Commission Fund.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, there shall be credited thereto, on an annual basis, such proportion or percentage of the income of the Agricultural Produce Market Committees (APMC) to the Fund, as may be determined by the State Government from time to time.

(3) The Fund shall be applied for meeting the expenses of the Commission in the discharge of its functions.

19. Accounts and audit.—(1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General at such intervals as he may consider appropriate and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

(3) The Accountant General or any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the Accountant General generally has in connection with the audit of the Government account(s) and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

(4) The accounts of the Commission as certified by the Accountant General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the Government by the Commission.

CHAPTER-VII REPORTS

20. Annual Reports.—The Commission shall prepare in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the Government.

21. Action on Commission's report.—Upon receipt of a report made under Section 20, the Government may take such action thereon, as it may consider appropriate.

22. Annual Report and Audit Report to be laid before the State Legislative Assembly.—The Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Government, and the reasons for the non- acceptance, if any, of any of such recommendations, and the audit report to be laid, as soon as may be, after the reports are received before State Legislative Assembly.

CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS

23. Members of Commission to be public servants.—All members, officers and employees of the Commission shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any provision of this Act, to be public servants within the meaning of Section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

24. Protection of action taken in good faith.—No suit or other legal proceedings shall lie against the Chairperson, member or an employee of the Commission for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules or the regulations made there under.

25. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Assembly make any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall therefore have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be so, however, that any such

modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

26. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provision(s), not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this Section, shall be laid as soon as may be, after it is made, before the Legislature Assembly.
